

मान्यता कोड : RJA JM25614

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक(प्रथम/द्वितीय)AJMER, राजस्थान

क्रमांक: 233

दिनांक 21.08.2018

सचिव

प्रबंध समिति

Aryabhatta World School

विषय - राजस्थान गैरसरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के नियम 5 के उपनियम (8) के तहत विद्यालय के लिए मान्यता क्रमोन्नति एवं अन्य हेतु प्रमाणपत्र।

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 23412 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, Aryabhatta World School पता Kayad Road , Chachiyawas Ajmer ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय CHACHIYAVAS ब्लॉक SRI NAGAR को शैक्षणिक सत्र 2018-19 से निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता है :-

क्रमोन्नति	
पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय की श्रेणी	Primary with Upper Primary (1-8)
क्या विद्यालय मान्यता वर्ष से कक्षा 9 के साथ कक्षा 10 / कक्षा 11 के साथ कक्षा 12 संचालित करना चाहता है	Yes



PRINCIPAL
ARYABHATTA WORLD SR. SEC. SCHOOL
KAYAD ROAD, CHACHIYAWAS, AJMER



SECRETARY
Aryabhatta World Sr. Sec. School
Kayad Road, Chachiyawas, Ajmer

मान्यता कोड : RJA JM25614

1. विद्यालय, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के उपबन्धों का पालन करेगा।
2. विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के सम्बन्ध में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. राज्य सरकार/विभाग द्वारा समयसमय पर प्रसारित नियमों/आदेशों/निर्देशों का अनिवार्यत पालन करना होगा तथा वांछित सूचनाएँ/अभिसेख अविलम्ब उपलब्ध करवाने होंगे।
4. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर अथवा विभागीय निरीक्षण के समय विद्यालय के लिए निर्धारित मापदण्ड (भौतिक एवं वित्तीय) मय किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर मान्यता समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी।
5. विद्यालय द्वारा भविष्य में कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं की जाएगी।
6. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के मान्यता सम्बन्धित विनियमों की पालना करनी होगी एवं मान्यता प्रस्ति के बाद विद्यालय को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से सम्बद्धता हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि में आवेदन करना होगा।
7. विद्यालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन इत्यादि विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से स्वीकृति प्राप्त कर ही किए जाएंगे।
8. विद्यालय को दी जा रही मान्यता के अनुसार उसी सत्र में कक्षाएँ प्रारम्भ करनी होंगी, मान्यता के अनुसार उस सत्र में कक्षाएँ संचालित नहीं होने पर मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
9. माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति होने पर मान्यता के वर्ष में ही कक्षा 9 के साथ कक्षा 10/कक्षा 11 के साथ कक्षा 12 उसी स्थिति में चलाई जा सकती है, जब इसकी स्वीकृति मान्यता प्रमाणपत्र में दी गई हो।


PRINCIPAL
ARYABHATTA WORLD SR. SEC. SCHOOL
KAYAD ROAD, CHACHIYAWAS, AJMER


SECRETARY
Aryabhatta World Sr. Sec. School
Kayad Road, Chachiyawas, Ajmer

मान्यता कोड : RJA JM25614

Gyanavati
जिल्हाशिक्षामंडळकारी
माध्यमिक (प्रथम द्वितीय) अजमेर

प्रतिसिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आदश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
- 2 वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (गुरुप5) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3 सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
- 4 उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा..... संभाग.....।
- 5 रक्षित पत्रावली।

59
जिल्हाशिक्षामंडळकारी
माध्यमिक (प्रथम द्वितीय) अजमेर

Leena

SECRETARY

Aryabhatta World Sr. Sec. School
Kayad Road, Chachiyawas, Ajmer

PRINCIPAL
ARYABHATTA WORLD SR. SEC. SCHOOL
KAYAD ROAD, CHACHIYAWAS, AJMER

विद्यालय - Aryabhatta World Sr. Sec. School (P55434)

आवेदन क्रमांक : 37131

मान्यता कोड : RJAJM30669

Sir
कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक(प्रथम/द्वितीय) AJMER, राजस्थान

क्रमांक: 531-A

दिनांक 11/10/2023

सचिव

प्रबंध समिति

Aryabhatta World Sr. Sec. School

विषय - राजस्थान गैरसरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के नियम 5 के उपनियम (8) के तहत विद्यालय के लिए मान्यता क्रमोन्नति एवं अन्य हेतु प्रमाणपत्र।

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 37131 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में Aryabhatta World Sr. Sec. School पता Kayad Road, Chachiyawas Ajmer, प्राम पंचायत/ शहरी स्पानीय निकाय CHACHIYAVAS ब्लॉक SRI NAGAR को शैक्षणिक सत्र 2020-21 से नईदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से अनुमोदनाप्राप्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुसार मान्यता मंजूर करता है:-

क्रमोन्नति	
पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय की श्रेणी	Pr. with Up. Pr. with sec. Only (1-10)
क्या विद्यालय मान्यता वर्ष से कक्ष 9 के साथ कक्ष 10 / कक्ष 11 के साथ कक्ष 12 संचालित करना चाहता है	No
स्वीकृत संकाय एवं विषय का विवरण	
विज्ञान संकाय	Physics (Science Stream), Chemistry (Science Stream), Biology (Science Stream), Mathematics (Science Stream)
वाणिज्य संकाय	Commerce (Accountancy), Commerce (Business Studies), Economics (Commerce Stream), Mathematics (Commerce Stream), Informatics Practices
कला संकाय	Political Science, History, Geography, English Literature
कृषि संकाय	

J.M.
— PRINCIPAL

ARYABHATTA WORLD SR. SEC. SCHOOL
KAYAD ROAD, CHACHIYAWAS AJMER

Lena
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा अजमेर

Lena
SECRETARY
Aryabhatta World Sr. Sec. School
Kayad Road, Chachiyawas, Ajmer

1. विद्यालय, राजस्थान और सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1980 पर गजबान है। सरकारी शैक्षिक संस्था मान्यता, महायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के उपबंधों का पालन करेगा।
2. विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के सम्बन्ध में नि-शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा गजबान निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधों का पालन करेगा।
3. रात्य सरकार/विभाग द्वारा समर्थसामग्र्य पर प्रसारित नियम/आदेश/निर्देशों का अनिवार्य पालन करना होगा तथा वर्णित सूचनाएँ/अभिलेख अविलम्ब उपलब्ध करवाने होंगे।
4. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर अपता तिथांगीय नियमण के साप्त विद्यालय के लिए निर्धारित मापदण्ड (भौतिक एवं विज्ञान, मध्य किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर मान्यता सामाप्ति यकी कारबाही की जायेगी।
5. विद्यालय द्वारा भविष्य में कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं की जाएगी।
6. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के मान्यता सम्बन्धित विनियोगों की पालना करनी होगी एवं मान्यता प्रदिति के बाद विद्यालय को मध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से सम्बद्धता हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि में आयोग करना होगा।
7. विद्यालय का नाम/भवन/र्वा/माध्यम परिवर्तन इत्यादि विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से रखीकृति प्राप्त कर ही किए जाएंगे।
8. विद्यालय को दी जा रही मान्यता के अनुसार उसी सत्र में कक्षाएँ प्रारम्भ करनी होगी, मान्यता के अनुसार उस सत्र में कक्षाएँ स्थापित नहीं होने पर मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
- माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्तति होने पर मान्यता के वर्ष में ही कक्षा 9 के साथ कक्षा 10/कक्षा 11 के साथ कक्षा 12 उसी स्थिति में चलाई जा सकती है, जब इसकी स्वीकृति मान्यता प्रमाणपत्र में दी गई हो।

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा अजमेर

PRINCIPAL
ARYABHATTA WORLD SR. SEC. SCHOOL
KAYAD ROAD, CHACHIYAWAS, AJMER

SECRETARY
Aryabhatta World Sr. Sec. School
Kayad Road, Chachiyawas, Ajmer